निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या – 50/2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 17/05/2024
निर्णय दिनांक – 20/01/2025

अनवान

1. निर्मलाकुमारी पत्नी शुरवीरसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. चन्द्रवीरसिह पिता शुरवीरसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. चन्द्रभानसिंह मुतबना सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
3. हुकमसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
4. करणसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
5. रणजीतसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
6. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

प्रार्थिया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में खाता संख्या 280 खसरा संख्या 1874, 2082, 2083, 2088, 2089, 2090 कुल किता 06 कुल क्षेत्रफल 2.3800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजीयात की भूमि खातेदारी हैं प्रार्थिया ही उक्त नम्बर की देख भाल कर रही है। पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करती चली आ रही, किन्तु प्रार्थिया की उक्त भूमि के चारों ओर पत्थर की पक्की बाउन्ड्री / सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो कि उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पडौसी है एवं हर समय फसल की कटाई एंव बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनावश्यक प्रार्थिया को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पडता है। मौके पर अशांति कायम रहती है प्रार्थिया भांति पूर्वक काश्त ,उपयोग व उपभोग भूमि का नहीं कर पा रही है। प्रार्थिया की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षीगण की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षीगण प्रार्थीया की उक्त भूमि के पडौसी है किन्तु सीमा बाबत् विवाद विपक्षीगण से पैदा होता है इसलिये आराजीयात के पडौसी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप ये विपक्षी बनाया गया है। प्रार्थिया खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थीया को फसलो की बुवाई, कटाई के समय विपक्षी आराजीयात बाबत् जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा, हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थिया शान्ति पूर्वक काश्त वगैरहा व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगी। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया की खातेदारी भूमि के उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी की खाता नम्बर 280 आराजी नम्बर 1874

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

क्षेत्रफल 0.4300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2082 क्षेत्रफल 0.3300 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 2083 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर, आारजी नम्बर 2088 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2089 क्षेत्रफल 1.2500 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 2090 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 2.3800 हैक्टेयर भूमि की बाद नपती पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार– यह कि प्रार्थना–पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की कॉलम संख्या 02 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। उक्त भूमि पर प्रार्थिया का कोई कब्जा काश्त नहीं है भूमि विपक्षी संख्या 02 के कब्जे काश्त में होकर विपक्षी संख्या 02 ही उपयोग–उपभोग शुरू से अपने गोदी पिता के समय से ही काबिज है। प्रार्थिया ने भूमि हडपने के लिए उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 02 के गोदी पिता सरदार सिंह ने अपने जीवनकाल में ही चार दिवारी निर्माण कराया हुआ है। यह कि प्रार्थना–पत्र की कॉलम संख्या 03 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। उक्त भूमि पर प्रार्थिया का किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है भूमि पर सरदारसिंह का कब्जा काश्त था एवं सरदार सिंह के जीवनकाल के बाद उक्त भूमि मुझ विपक्षी संख्या 02 को जरिये विरासत प्राप्त हुई तब से लगायत आज दिन पर निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अविरल काबिज हो उपयोग–उपभोग काश्त कर रहा हुं। यह कि प्रार्थना–पत्र की कॉलम संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थिया ने भूमि हड़पने के लिए पत्थरगढ़ी का

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

प्रार्थना–पत्र पेश किया है भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा काश्त नहीं है भूमि शुरू से ही मुझ विपक्षी संख्या 02 के उपयोग–उपभोग में आ रही है। यह कि प्रार्थना–पत्र की कॉलम संख्या 05 में वर्णित तथ्य न्यायिक श्रवणाधिकारी व क्षेत्राधिकारिता से संबंधी हो उत्तर की आवश्यकता नहीं है। यह कि प्रार्थना–पत्र की कॉलम संख्या 06 में वर्णित तथ्य न्याय शुल्क से संबंधी हो उत्तर की आवश्यकता नहीं है। यह की प्रार्थना–पत्र की कॉलम संख्या 07 में वर्णित तथ्य विपक्षी संख्या 02 से संबंधित नहीं होने से उत्तर की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपने विशेष उत्तर में उल्लेख किया कि विपक्षी संख्या 02 माननीय न्यायालय आप में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131, 132 राजस्थान लैण्ड रेवेण्यु एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरस्ती का पेश कर रखा है। जिसमें विपक्षी संख्या 02 की पूर्व आराजी के विपरीत नवीन आराजी में विपक्षी संख्या 02 का नक्शा पूर्व की भांति नवीन नक्शा परिवर्तित कर दिया जो प्रार्थिया के आराजी संख्या 1874 के सटमा होने से मूल स्थिति से परिवर्तित करते हुए विपक्षीसंख्या 02 की जमीन का कुछ भाग प्रार्थिया की आराजी संख्या 1874 में सम्मिलित कर दिया। जब तक विपक्षी संख्या 02 की भूमि का नक्शा पूर्ववत नहीं हो। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 02 के गोदी पिता के जीवनकाल से लगायत आज दि नतक विपक्षी संख्या 02 का कब्जा होकर उपयोग–उपभोग में है प्रार्थिया के नाम भूमि गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने से प्रार्थिया ने पत्थरगढ़ी का वाद बिना हेतुक का प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 02 की भूमि राजस्व ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ के पूर्व जमाबन्दी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 143/128 के खसरा संख्या 1071 रकबा 4.04 बीघा खसरा संख्या 1158 रकबा 1.08 बीघा, खसरा सख्या 1159 रकबा 6.04 बीघा, खसरा संख्या 1160 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 1161 रकबा 1.17 बीघा, खसरा संख्या 1162 रकबा 1.05 बीघा, खसरा संख्या 1163 रकबा 1.17 बीघा कुल किता 07 रकबा 17.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

01 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त भूमि पूर्व में सरदार सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी सरदारसिंह स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि विपक्षी संख्या 02 के नाम दर्ज हुई विपक्षी संख्या 02 सरदार सिंह का गोदी पुत्र है उक्त भूमि माफिक पूर्व नक्शे अनुसार विपक्षी संख्या 02 एवं विपक्षी संख्या 02 से पूर्व गोदी पिता का कबजा काश्त में होकर भूमि पर चार दिवारी बाउण्ड्ररी वाल बना हुआ है भूमि निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के आज दिन तक माफिक नक्शे अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। यह कि वर्तमान में संवत् 2076 में जब सेटलमेन्ट हुआ तब विपक्षी संख्या 02 के पूर्व खसरा संख्या 1071, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 163 कुल किता 07 कुल रकबा 17.01 बीघा के बजाय नवीन आराजी संख्या 1873, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101 कुल किता 07 रकबा 3.6800 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही राजस्व रिकॉर्ड एवं सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा जहां का नक्शा दर्ज हुआ राजस्व रिकॉर्ड एवं सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा जहां विपक्षी संख्या 02 का पूर्व में दर्ज नक्शा एवं कब्जा था, विपक्षी संख्या 02 उपयोग–उपभोग कर रहा था उसमें मन मकसुद तरीके से परिवर्तन करते हुए सम्पूर्ण नक्शे को परिवर्तित कर दिया राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में विपक्षी संख्या 02 की भूमि का नक्शा पूर्व तरमीम नक्शे के विपरीत नवीन सेटलमेन्ट में ईन्द्राज कर दिया विपक्षी संख्या 02 के नवीन खसरा संख 1873 व 2096 का नक्शा पूर्व तरमीम नक्शे खसरा संख्या 1071, 1158 व 1159 के विपरीत नक्शा तरमीम कर दिया। विपक्षी संख्या 02 के कब्जे एवं पूर्व तरमीम नक्शे पर आराजी संख्या 1874 का नक्शा प्रार्थिया के नाम इन्द्राज कर दिया जबकि प्रार्थिया की भूमि अन्यत्र थी एवं उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 02 का पूर्व नक्शा दर्ज है एवं विपक्षी संख्या 02 काबिज है। उक्त इन्द्राज खतौनी के समय सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से खतौनी एवं इन्द्राज करने से हो गया जबकि वास्तव में जहां विपक्षी संख्या 02 काबिज था जहां

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

विपक्षी संख्या 02 का हिस्सा व हक है उसके विपरीत मन मकसूद तरीके से उक्त नया नक्शे में अंकन कर दिया है। आराजी संख्या 1873, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101 तो खतौनी के नये आराजी है परन्तु विपक्षी संख्या 02 का नक्शा ही मूल स्थिति से परिवर्तित हो गया। यह कि प्रार्थिया का कोई प्रार्थना–पत्र पत्र हेतुक नहीं है प्रार्थिया का कब्जा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करना था बिना कब्जे प्रार्थिया पत्थरगढ़ी कराने की अधिकारी नहीं है उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है सम्पूर्ण भूमि विपक्षीगण की है प्रार्थिया द्वारा गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 01, 03, 04 एवं 05 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01, 03, 04 एवं 05 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 06 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात पर पक्षकारों के मध्य कब्जे संबंधी विवाद की स्थिति होने से पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

> Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर, देवगढ़
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)